MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

"That clauses 2 and 3, the schedule, clause 1, the Enacting Formula and the Title stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 2 and 3, the Schedule, clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI K. C. PANT : I beg to move :

"That the Bill be passed."

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

15.50 HRS.

WEST BENGAL APPROPRIATION BILL, 1968

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI K. C. PANT) : I beg to move :*

"That the Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State of West Bengal for the services of the financial year 1967-68, be taken into consideration."

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

"That the Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State of West Bengal for the services of the financial year 1967-68, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

"That clauses 2 and 3, the Schedule, clause 1, the Enacting Formula and Title stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 2 and 3, the Schedule, clause 1, the enacting Formula and Title were added to the Bill.

SHRI K. C. PANT : I move:

"That the Bill be passed."

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

15.51 HRS.

RESOLUTION *RE* PROCLAMATION IN RELATION TO UTTAR PRADESH

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : Mr. Deputy-Speaker, Sir, I beg to move :

"That this House approves the proclamation issued by the President on the 25th February, 1968, under article 356 of the Constitution in relation to the State of Uttar Pradesh."

I am not moving the Bill in pursuance of your earlier ruling, and the Bill will follow. It does not also contain the Financial Memorandum. Although I think the Bill as it is would do, since you have already given a ruling it would not do and I am not moving that now.

Sir, the events which led to the imposition of President's Rule and suspension of the legislature in Uttar Pradesh are well known to the House. The Chief Minister ultimately persuaded himself to resign when he found that it was not possible for him to carry on the governance of Uttar Pradesh. After that, the statements made by the various constituent units of the coalition gave rise to such a confusion in the political state of affairs that the Governor found it difficult to determine whether any particular political group could form a stable government there. Actually claims were made by the leader of the Congress Party in the legislature and by leaders of other parties also that they could form the Government. But the Governor came to the conclusion that in these particular circumstances no Government could be formed.

A point may be raised as to why this Proclamation is brought forward here when there is a likelihood of a government being formed in Uttar Pradesh soon. We would be very happy ourselves if a government is formed in Uttar Pradesh by any party. We would not be at all worried about which party comes there. Any party that can form a good stable government and can give a clean and stable administration to the people there would be most welcome to do so. Even with the possibility

*Moved with the recommendation of the President.

[Shri Vidya Charan Shukla]

of that thing happening, which we welcome, this is a constitutional requirement that the Proclamation must be approved by this august House as it has been approved by the other House. If a Government is formed there and the President's Rule is withdrawn, then this approval and the Bill which I will have the honour of moving before this House on Monday, when it becomes an Act, will also lapse as soon as the popular government is formed in Uttar Pradesh.

15.54 Hrs.

[Shri G. S. Dhillon *in the Chair*]

As far as the present circumstances in Uttar Pradesh are concerned I would not say much about it. I would again plead with hon. Members not to say things here which will make it difficult for a popular government to come back in Uttar Pradesh. It should be a common endeavour of all of us to see that circumstances are created in Uttar Pradesh so that a popular government is installed there as early as possible.

With these few introductory remarks, Sir, I commend this Proclamation to the approval of the House.

15.55 Hrs.

[Mr. Speaker *in the Chair*]

MR. SPEAKER : Motion moved :

"That this House approves the Proclamation issued by the President on the 25th February, 1968, under article 356 of the Constitution in relation to the State of Uttar Pradesh."

श्री झारखंडे राय (घोसी) : मान्यवर, प्रेसिडेंट कल उत्तर प्रदेश के लिए अभिशाप सिद्ध हुआ है। यह नंगा नौकरशाही का राज्य है। लोकतन्त्र की हत्या का जो अभियान कांग्रेस ने पूरे देश में चला रखा है उसी अभियान की एक कड़ी उत्तर प्रदेश में देखने को मिली है, जबकि इस बात की कोई जरूरत नहीं थी। चौधरी चरणसिंह का त्याग-पत्र उनका अपना एक निजी मसला था। इस बात का फैसला किये बिना कि किस पार्टी का बहुमत है, प्रेसिडेन्ट रूल नहीं लागू किया जाना चाहिए था। पहली बार जब कांग्रेस और संविद के बीच में टकराव हुआ था जबकि अविश्वास का प्रस्ताव पेश किया गया था और जब इस बात की संभावना थी कि इस बात का अन्दाजा लगाया जा सके कि कांग्रेस स्पष्ट बहुमत में है अथवा संविद स्पष्ट बहुमत में है, उसी समय बिरला का एक ब्रान्च आफिस कार्लटन होटल में खोला गया था, रुपया पानी की तरह बहाया गया था, बीस-बीस हजार रुपए में एम० एल० एज० को खरीदने की कोशिश की गई थी, पदों का लालच दिया गया था और इस बात का प्रयास किया गया था कि अगर कांग्रेस की स्थायी सरकार नहीं बनेगी तो मध्यावधि चुनाव हो जायेंगे। इस बात का डर दिखाकर आजाद और निर्दलीय एम० एल० एज० को तोड़ने की कोशिश की गई थी। उस समय भी अविश्वास का प्रस्ताव बुरी तरह से पराजित हुआ था, 20 मतों के बहुमत से संविद जीती थी।

ऐसे स्पष्ट बहुमत के होते हुए भी, केवल एक व्यक्ति के त्याग-पत्र के नाते प्रेसीडेन्ट रूल लागू किए जाने का कोई औचित्य नहीं है। चौ० चरणसिंह का त्याग-पत्र एक आन्तरिक विषय था। वहां के गवर्नर को इस बात का मौका देना चाहिए था कि नये नेता का चुनाव स्पष्ट एकमत से हो जाता और उसके बाद नयी सरकार बनती। अगर वहां पर कांग्रेस का बहुमत था तो इस बात का भी अच्छी तरह से उस समय पता लग जाता जबकि विधान सभा की बैठक बुलाई जाती और उसमें इस बात का निपटारा हो जाता कि कांग्रेस का बहुमत है अथवा नहीं। लेकिन इस बात का पूरा मौका दिये बिना केन्द्रीय कांग्रेसी शासकों के इशारे पर वहां प्रेसीडेन्ट रूल लागू करना, यह प्रजातन्त्र की हत्या है।

दलबदल बाद की बात भी यहां पर अक्सर चलाई गई है ; हमारे देश में कांग्रेस आज भी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस पार्टी के हाथ में ही शासन की बाग-डोर आई। कांग्रेस के लोग, कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की सरकारें जो चरण चिन्ह छोड़ रही हैं उसका प्रभाव अन्य लोगों पर पड़ना

अवश्यंभावी है। मैं केन्द्रीय कांग्रेसी शासकों से पूछना चाहता हूं कि जिस समय माननीय अशोक मेहता के साथ बहुत से सोशलिस्ट कांग्रेस में आये थे, उनका स्वागत क्यों किया गया था? क्यों नहीं उनसे कहा गया था कि वे अपनी पार्टी से इस्तीफा देकर, कांग्रेस के चुनाव-चिन्ह पर लड़कर जनता का विश्वास प्राप्त तो यह दल बदल बाद की नयी परम्परा किसने चलाई? देश में या हमारे देश की राजनीति में यह जहर और विष कौन फैला रहा है? इसी प्रकार से देश की अन्य पार्टियों से इक्का दुक्का लोग जब कांग्रेस में शामिल हुए तो उनका स्वागत क्यों किया गया, क्यों नहीं उनसे इस बात का आग्रह किया गया कि वे जिन पार्टियों से चुनाव जीत कर आये हैं उनसे इस्तीफा दें और फिर कांग्रेस के टिकट पर अपने बहुमत का अन्दाजा लगाकर विधान सभा या लोक सभा में आयें? तो यह नयी परम्परा, कु-परम्परा कांग्रेस ने डाली है, उसका असर अन्य पार्टियों पर पड़ना अवश्यंभावी है।

मान्यवर, जो प्रेसीडेन्ट रूल हमारे उत्तर प्रदेश में लागू किया गया उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। वहां पर स्पष्ट बहुमत संविद का पहले भी था और आज भी है। इसलिए यह जो नया चक्र चलाया गया है उससे हमारे प्रदेश का नुक्सान हुआ है। जो वहां पर नग्न नौकरशाही शासन का तांडत्व-नृत्य हो रहा है उसमें जन-प्रतिनिधियों का कोई सम्मान नहीं रह गया है उनके स्थान पर सेक्रेटरी रूल कायम हो गया है। इसलिए मैं चाहूंगा कि वहां पर प्रेसीडेन्ट रूल जल्द से जल्द समाप्त किया जाए। वहां पर विधान सभा को बुलाकर अच्छी तरह से इस बात का अन्दाजा लगाया जा सकता है कि संविद का बहुमत है अथवा नहीं। वहां की किसी भी पार्टी ने न तो गवर्नर को इस बात की सूचना दी और न राष्ट्रपति को ही सूचना दी कि वह संविद में नहीं है। संविद की सरकार में भले ही कोई पार्टी शामिल हो अथवा न हो परंतु सभी पार्टियां संविद के साथ थीं और आज भी हैं। सरकार में जाना और संविद में रहना, यह दोनों एक समान और पर्यायवाची चीजें नहीं हैं। कोई भी पार्टी, संविद में रह सकती है लेकिन सरकार में नहीं रह सकती है। जैसे कि कम्युनिस्ट पार्टी संविद सरकार से अलग हो गई, सोशलिस्ट पार्टी संविद सरकार से अलग हो गई लेकिन दोनों पार्टियों ने इस बात को स्पष्ट रूप से कह दिया था कि वे संविद के साथ हैं और संविद सरकार का समर्थन करती रहेंगी।

ऐसी स्थिति में कोई भी औचित्य नहीं है जोकि वहां पर प्रेसीडेंट रूल कायम किया गया है।

16. HRS.

मान्यवर, केन्द्रीय कांग्रेसी शासक अगर इस तरीके से हिन्दुस्तान में प्रतिक्रिया चलायेंगे तो उस का खमियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ेगा और पूरे देश की जनता को हानि उठानी पड़ेगी। उस का कारण यह है कि हमारे देश में दो ही बात चल सकती हैं, या तो प्रजातंत्र चले या कोई दूसरा तंत्र चले। दो ही भाषा बोली जा सकती है, या तो प्रजातंत्र की . .

Mr. SPEAKER : He may continue next time.

16.01 HRS.

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

TWENTY-FOURTH REPORT

श्री हरदयाल देवगुण (पूर्व दिल्ली) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकलपों सम्बन्धी समिति के 24वें प्रतिवेदन से, जो 20 मार्च, 1968 को सभा में पेश किया गया था, सहमत है।

MR. SPEAKER : The question is :

"That this House agrees with the Twenty-fourth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolu-